[2018] 3 एस. सी. आर. 68

बी. एन. फिरुस

वी.

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

(2008 की सिविल अपील सं. 79)

27 मार्च, 2018

[रंजन गोगोई और

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-एस। 70 (1) - संरक्षित है।

प्रणाली-27 दिसंबर, 2002 को अधिसूचना जारी करना

एस. 70 (1) – घोषणा कि अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर नेटवर्क "संरक्षित प्रणाली" होना-अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए कि सरकार के लिए उनके द्वारा विकसित ई-शासन कार्यक्रम में कॉपीराइट अपीलार्थी यू/एस में निहित है। 17 1957 के अधिनियम और अधिसूचना का उल्लंघन उक्त अधिकार का उल्लंघन था

राज्य का मामला जिसके लिए अपीलार्थी ने सॉफ्टवेयर विकसित किया था

माइक्रोसॉफ्ट जिसने इसे उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया था चौथे प्रतिवादी के माध्यम से राज्य-सरकारी एजेंसी, मुफ्त-उच्च न्यायालय ने माना कि सॉफ्टवेयर में बौद्धिक संपदा अधिकार निहित हैं

सरकार में ताकि उसे एक के रूप में घोषित करने का अधिकार हो

संरक्षित प्रणाली यू/एस। 70 (1) - हस्तक्षेप-आयोजितः एक "संरक्षित प्रणाली" की घोषणा की शक्ति एक कॉपीराइट पर आक्रमण कर सकती है जो एक निजी मालिक में निहित हो सकती है, हालांकि,

ऐसी स्थिति का ध्यान एस में निहित प्रावधानों द्वारा रखा जाता है। 2 (के) 1957 के अधिनियम की धारा जो "सरकारी कार्य" को परिभाषित करती है। 17 ((घ) 1957 के अधिनियम का, जो सरकार में निहित है, प्रतिलिपि अधिकार

एस द्वारा परिभाषित सरकारी कार्य। 2 (के)-एस के प्रावधान। 70 (1) एस के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। 2 (के) और एस। 17 1957 के अधिनियम के तहत, विधायिका द्वारा बनाए गए दो अलग-अलग अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों को उचित प्रभाव देने के लिए-इसके अलावा, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया/अनुरोध किया कि उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उस सॉफ्टवेयर को विकसित करने का काम सौंपा गया था जिसके लिए उसे माइक्रोसॉफ्ट से उचित विचार प्राप्त हुआ था, यदि ऐसा है, तो अपीलकर्ता आवेदन सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

यू / 1957 अधिनियम-प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1957-एस. एस. की धारा 17 (ए)। 17 (ए), 2 (के)।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में सही निर्णय दिया है कि धारा 70 (1) के प्रावधान

विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम। आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) प्रासंगिक समय पर (उस समय जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था) या 2009 में इसके संशोधन के बाद भी किसी व्यक्ति को उपयुक्त सरकार से प्राधिकरण के बिना "संरक्षित प्रणाली" के रूप में घोषित प्रणाली तक पहुंच से रोकती है। स्पष्ट रूप से पढ़ें, एक "संरक्षित प्रणाली" की घोषणा की शक्ति एक कॉपीराइट पर आक्रमण कर सकती है जो एक निजी मालिक में निहित हो सकती है। हालाँकि, ऐसी स्थिति का ध्यान कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (के) में निहित प्रावधानों द्वारा रखा जाता है जो "सरकारी कार्य" को परिभाषित करता है और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 (डी) जो सरकार में निहित है, धारा 2 (के) द्वारा परिभाषित सरकारी कार्य में कॉपीराइट। किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कॉपीराइट और "सरकारी कार्य" में सरकार में निहित कॉपीराइट के बीच धारा 17 द्वारा संतुलन बनाया जाता है। इसलिए आई. टी. अधिनियम की धारा 70 को कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। यदि आई. टी. अधिनियम की धारा 70 को इसके साथ पढ़ा जाना है

कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 2 (के) और धारा 17 आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के संचालन को नियंत्रित करने वाली कठोरताओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। [पैरा 19] [75-जी-एच; 76-ए-डी]

1.2 2009 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा लाए गए आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) में संशोधन निम्नलिखित घोषणा करने की शक्ति देता हैः

केवल एक कंप्यूटर संसाधन के संबंध में संरक्षित प्रणाली की घोषणा की शक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुविधा को प्रभावित करती है, जो एक परिभाषित प्रणाली है। आई. टी. अधिनियम में अभिव्यक्ति। यह संशोधन पहली बार नहीं है जब आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए मापदंडों की शुरुआत की गई है। बल्कि, यह [2018] 3 एस. सी. आर. के दायरे को कम करके, पूर्व-संशोधित कानून के तहत प्रचलित शक्ति से भी आगे शक्ति को सीमित करने का प्रयास है।

" सरकारी कार्य "जहाँ तक यह महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुविधा से संबंधित है, जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। [पैरा 20] [76-ई-जी]

1.3 अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष 27 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना के रूप में की गई चुनौती है -

संबंधित की स्थापना फ्रेंड्स एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के दावे पर की गई थी। उक्त दावा, प्रत्यक्षतः, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 (ए) में निहित प्रावधानों और रिट याचिका में अपीलार्थी के स्वीकृत/अभिवचन मामले के आलोक में इस प्रभाव से मान्य नहीं है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम सौंपा गया था, जिसके लिए उसे माइक्रोसॉफ्ट से उचित विचार प्राप्त हुआ था। यदि ऐसा है, तो अपीलार्थी की अपनी दलीलों पर

रिट याचिका, यह धारा 17 (ए) के तहत फ्रेंड्स आवेदन सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट का दावा करने का हकदार नहीं होगा

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम। चाहे ई-गवर्नेंस के लिए कुल समाधान प्रदाताओं के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 10 ("केरल सरकार की भूमिका" शीर्षक के तहत) के तहत और केरल सरकार के पास कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 (ए) को देखते हुए कॉपीराइट का दावा होगा, यह पूरी तरह से एक अलग सवाल है जिसका फ्रेंड्स आवेदन सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के लिए अपीलकर्ता के दावे से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान कार्यवाहियों में, निर्णय के लिए एकमात्र बिंदु अपीलार्थी का, आवेदन सॉफ्टवेयर के विकासकर्ता के रूप में, उक्त कार्य का पहला लेखक होने का दावा है ताकि उसे कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 के प्रावधानों के तहत एक कॉपीराइट निहित किया जा सके, एक ऐसा दावा जो कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 (ए) के प्रावधानों के आधार पर और कुल समाधान के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 10 (शीर्ष "केरल सरकार की भूमिका") के तहत स्पष्ट रूप से निराधार है।

ई-शासन और केरल सरकार के लिए प्रदाता। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 22] [76-एच; 77-ए-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 79

2008 . 2004 के डब्ल्यू. ए. No.685 में एर्नाकुलम में केरल के उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. कार्तिक, वी. के. सिद्धार्थन, अधिवक्ता

अपीलार्थी।

बी. एन. फिरुस बनाम केरल राज्य और ओ. आर. एस.

पल्लव सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर वी. एल., पी. वी. दिनेश,

सुश्री अवनि बंसल, सुश्री सिंधु टी. पी., सुश्री आरुषि सिंह, बिनेश के., राजेंद्र बेनीवाल, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई, जे. 1. अपीलार्थी-बी. एन. कॉमेटेक आईटी सॉल्यूशंस, तिरुवनंतपुरम के मालिक फिरोस ने एक रिट याचिका दायर की थी

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 (1) के तहत जारी 27 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना (जिसे इसके बाद "आई. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को चुनौती देते हुए अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर नेटवर्क को आई. टी. अधिनियम के तहत "संरक्षित प्रणाली" घोषित किया गया है। आई. टी. अधिनियम की धारा 70 के अधिकारों को भी चुनौती दी गई थी। रिट याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा रिट अपील में बर्खास्तगी के उक्त आदेश की पुष्टि की गई है और उसके खिलाफ दायर समीक्षा को भी खारिज कर दिया गया है। पीड़ित, यह अपील (ओं) दायर की गई है।

2. जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार हैं:

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर रिट/मूल याचिका में कहा गया है कि अपीलार्थी कॉमटेक आई. टी. का स्वामी है। समाधान, एक सूचना प्रौद्योगिकी चिंता जो डेवलपर्स के एक पेशेवर समूह, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर फोरम का सदस्य है

माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तकनीकी रूप से समर्थित और निर्देशित। लि.

3. वर्ष 1999 में, प्रथम उत्तरदाता-चौथे उत्तरदाता के माध्यम से केरल राज्य-इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र

(सी-डी. आई. टी.), तिरुवनंतपुरम, एक कुल समाधान प्रदाता (टी. एस. पी.) ने एक एकल खिड़की एकाधिक एजेंसी बिल संग्रह प्रणाली की अवधारणा की थी। इस परियोजना को "फ्रेंड्स" (यानी तेज़, विश्वसनीय तत्काल, कुशल, सेवाओं के वितरण के लिए नेटवर्क) कहा गया था। अपीलार्थी के अनुसार - रिट याचिकाकर्ता, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड। (इसके बाद "माइक्रोसॉफ्ट" के रूप में संदर्भित) ने पायलट परियोजना के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर मुफ्त में प्रदान करने की पेशकश की थी। अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर फोरम के सदस्य होने के नाते, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिस्टम अध्ययन करने और "फ्रेंड्स" परियोजना के लिए पायलट परियोजना विकसित करने की आवश्यकता थी।

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ने 23 मई, 2000 को अपीलार्थी को आदेश दिए, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को चौथे प्रतिवादी को सौंप दिया गया और सॉफ्टवेयर को जून 2000 में पलायम, तिरुवनंतपुरम में पहले फ्रेंड्स सेंटर में एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया। चूंकि उक्त परियोजना सफल रही, इसलिए प्रथम प्रतिवादी ने इसे अपने 13 जिला केंद्रों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया।

5. 31 जनवरी, 2001 को एक संचार द्वारा, चौथे प्रतिवादी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि फ्रेंड्स परियोजना, जिसके लिए अपीलार्थी

माइक्रोसॉफ्ट के साथ डेवलपर्स फोरम समझौते के हिस्से के रूप में मुफ्त में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया था, सफल रहा है और सरकार ने राज्य के अन्य सभी 13 जिलों में मित्र एकीकृत नागरिक सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 4 अपीलार्थी के साथ जुड़ना चाहेगा।

फ्रेंड्स अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का अनुकूलन। इसके अनुसरण में 19 फरवरी, 2001 को अपीलार्थी और चौथे प्रत्यर्थी के बीच एक समझौता सह समझौता ज्ञापन किया गया था।

6. अपीलार्थी के अनुसार चौथे प्रतिवादी के रूप में फ्रेंड्स अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की कुछ आवश्यक वस्तुओं को स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था। एक अन्य चिंता, मैसर्स स्टैनहॉप टेक्नोलॉजी, के लिए अपीलार्थी द्वारा उक्त मैसर्स स्टैनहॉप टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। आगे के प्रयासों की आशंका में, अपीलार्थी द्वारा कॉपीराइट पंजीयक, नई दिल्ली के समक्ष फ्रेंड्स आवेदन सॉफ्टवेयर में अपने कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था।

7. दूसरी ओर, चौथे प्रतिवादी ने जिला न्यायालय, तिरुवनंतपुरम के समक्ष 2002 का ओ. एस. नंबर 8 नामक मुकदमा दायर किया था। घोषणा करें कि चौथा प्रतिवादी कॉपीराइट का अनन्य मालिक है

और फ्रेंड्स अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के बौद्धिक संपदा अधिकारों का एकमात्र मालिक। चौथे प्रतिवादी द्वारा दायर उल्लंघन के लिए उपरोक्त मुकदमे को देखते हुए, कॉपीराइट के पंजीयक ने "फ्रेंड्स" सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। दीवानी मुक़दमे में निर्णय के बाद मामले को उत्तेजित करने के लिए छोड़ दिया।

8. चौथे प्रतिवादी ने आवेदन सॉफ्टवेयर के उल्लंघन के लिए अपीलार्थी के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया था। 9. जबकि उक्त कार्यवाही लंबित थी, राज्य सरकार ने आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत 27 दिसंबर, 2002 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद रिट कार्यवाही शुरू की गई थी।

उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित किए गए हैं।

10. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने राहत के लिए अपने दावे को मुख्य रूप से इस आधार पर स्थापित किया था कि फ्रेंड्स में कॉपीराइट है।

आवेदन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 के तहत अपीलार्थी के पास निहित था और आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत 27 दिसंबर, 2002 को जारी अधिसूचना उक्त अधिकार का उल्लंघन था। आई. टी. अधिनियम की धारा 70 के अधिकारों के लिए चुनौती विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यर्पण के आधार पर स्थापित की गई थी।

क्योंकि, अपीलार्थी के अनुसार, "संरक्षित प्रणाली" के रूप में घोषणा की शक्ति बेलगाम, निर्देशित और अप्रमाणित थी।

11. उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (के) के प्रावधानों, जो एक ओर "सरकारी कार्य" को परिभाषित करते हैं, और उसी अधिनियम की धारा 17 (डी) और आई. टी. अधिनियम की धारा 70 के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझा जाना चाहिए। के अनुसार

उच्च न्यायालय को, यदि उक्त प्रावधानों को पढ़ना है और सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना है, तो "संरक्षित प्रणाली" की घोषणा की शक्ति केवल "सरकारी कार्य" के संबंध में होगी, जिसमें सरकार के कॉपीराइट को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 (डी) द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह उपरोक्त व्यापक आधार पर है कि आई. टी. अधिनियम की धारा 70 की अयोग्यता के संबंध में अपीलार्थी के तर्क को खारिज कर दिया गया था।

12. जहां तक कॉपीराइट के दावे के आधार पर आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत दिनांकित अधिसूचना को चुनौती देने का संबंध है, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए कॉपीराइट के पंजीकरण को कॉपीराइट के पंजीयक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इस संबंध में चौथे प्रतिवादी द्वारा दायर दीवानी मुकदमा लंबित था। उच्च न्यायालय ने आगे यह विचार रखा कि यदि अपीलार्थी के अनुसार वह कॉपीराइट का पहला मालिक था, जैसा कि दावा किया गया है, तो उसे कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 60 और 61 के तहत उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करने या मध्यस्थता का सहारा लेने से कुछ भी नहीं रोकता है, जो 19 फरवरी, 2001 के समझौते के खंड 7 द्वारा विचार किया गया है।

13. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने थोड़ा और आगे बढ़कर कुल समाधान प्रदाताओं के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 10 ("केरल सरकार की भूमिका" शीर्षक के तहत) को ध्यान में रखा। ई-शासन और केरल सरकार के लिए। उक्त खंड 10 निम्नानुसार हैः

" 10. विभागीय कार्य बल वास्तविक स्थिति की निगरानी करेगा। द्वारा निर्धारित मील के पत्थर की तुलना में इस परियोजना का कार्यान्वयन

टी. एस. पी. और विभाग केरल सरकार में निहित होंगे। केरल सरकार उसी प्रणाली को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगी या किसी भी सरकारी/अर्ध सरकारी/अर्ध सरकारी विभाग/संगठन में संशोधन के साथ।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चौथा प्रत्यर्थी एक सरकारी अभिकरण था और सरकार ने उपरोक्त अभिकरण को कुल मिलाकर बनाया था।

सरकार के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए समाधान प्रदाता। उच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि चौथा प्रत्यर्थी उपरोक्त खंड से बाध्य था और अपीलार्थी जिसने एक आदेश को निष्पादित करके तकनीकी सहायता ली थी।

चौथे प्रत्यर्थी के साथ समझौता भी उपरोक्त खंड से बाध्य था।

10. इसलिए "फ्रेंड्स" सॉफ्टवेयर के संबंध में आई. पी. आर. कॉपीराइट सरकार में निहित है और अपीलार्थी और चौथे प्रतिवादी के बीच समझौते में यह दिखाने के लिए कोई खंड नहीं है कि चौथे प्रतिवादी ने अपीलार्थी को आई. पी. आर. अधिकार सौंपा है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सॉफ्टवेयर में बौद्धिक संपदा अधिकार निहित हैं -

सरकार ताकि उसे "संरक्षित प्रणाली" के रूप में घोषित करने का अधिकार मिले। आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत।

14. हमने पक्षों के विद्वान सलाहकारों को सुना है।

15. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत ने मूल रूप से याचिका से पहले दिए गए तर्कों को दोहराया है।

उच्च न्यायालय आई. टी. अधिनियम की धारा 70 में किए गए संशोधनों द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रबलित है जो किसी भी कंप्यूटर संसाधन को "संरक्षित प्रणाली" के रूप में घोषित करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुविधा को प्रभावित करता है।

जिसे आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के स्पष्टीकरण द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" व्याख्याः इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "महत्वपूर्ण जानकारी अवसंरचना का अर्थ है कंप्यूटर संसाधन, जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय स्तर पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ेगा।

सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा "।

16. श्री बसंत ने प्रस्तुत किया है कि संशोधन (2009 का अधिनियम No.10) द्वारा जो पेश किया गया था, उसके स्पष्ट विपरीत शक्ति आई. टी. अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 70 (1) के तहत किसी भी कंप्यूटर को घोषित करने के लिए,

एक संरक्षित प्रणाली होने के लिए कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क विधायी शक्ति का अप्रचलित और निर्देशित प्रत्यायोजन था।

विद्वान बी. एन. फिरुस बनाम केरल राज्य और ओ. आर. एस. [रंजन गोगोई, जे।]

आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) की संवैधानिक नाजुकता जो उस समय मौजूद थी। 17. श्री बसंत ने आगे प्रस्तुत किया है कि अभिलेख पर सामग्री से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने स्वयं सॉफ्टवेयर विकसित किया था और इसलिए, के प्रावधानों के तहत

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 अपीलार्थी को कॉपीराइट का पहला मालिक माना जाना चाहिए। संयोग से, कंप्यूटर डेटाबेस सहित कंप्यूटर प्रोग्राम, टेबल और संकलन को इसमें शामिल किया गया है। 10 मई, 1995 से प्रभावी कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ओ) के तहत "साहित्यिक कार्य" की परिभाषा।

18. प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पल्लव सिसोदिया-राज्य ने अग्रिम दलीलों का विरोध किया है और

प्रस्तुत किया कि, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, आई. टी. अधिनियम की धारा 70 को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (के) और धारा 17 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिस स्थिति में "संरक्षित प्रणाली" की घोषणा की शक्ति स्पष्ट रूप से सीमित सीमाओं के भीतर उपलब्ध होगी और उपलब्ध नहीं होगी।

किसी भी अत्यधिक प्रत्यायोजन से पीड़ित। जहाँ तक कॉपीराइट के दावे का संबंध है, श्री सिसोदिया ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया था जिसने चौथे प्रतिवादी के माध्यम से पहले प्रतिवादी को इसे मुफ्त में उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया था। इस संबंध में माइक्रोसॉफ्ट पर अपीलार्थी द्वारा उठाया गया चालान अपीलार्थी को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पारिश्रमिक के भुगतान को दर्शाता है। इसलिए, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 (ए) के तहत माइक्रोसॉफ्ट कॉपीराइट का पहला मालिक है। किसी भी स्थिति में, श्री सिसोदिया के अनुसार खंड 10 के तहत

सरकार। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा कॉपीराइट का दावा कायम नहीं रहेगा। 19. आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यर्पण के संबंध में विवाद को श्री बसंत द्वारा इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करके मजबूत करने की मांग की गई है। उक्त निर्णयों में से किसी पर विशिष्ट ध्यान देने की शायद ही आवश्यकता होगी क्योंकि जिस प्रस्ताव का प्रचार करने की मांग की गई है वह किसी भी विवाद या संदेह को उठाने के लिए बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। हालाँकि, अपने समक्ष उठाए गए उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में, [2018] 3 एस. सी. आर.

और हमारे विचार में सही ढंग से यह अभिनिर्धारित किया गया कि आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के प्रावधानों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (के) और धारा 17 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि विधायिका द्वारा बनाए गए दो अलग-अलग अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों को उचित प्रभाव दिया जा सके। आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) प्रासंगिक समय पर (उस समय जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था) या उसके बाद भी लागू थी।

2009 में किया गया संशोधन किसी व्यक्ति को प्रणाली तक पहुँचने से रोकता है।

" उपयुक्त से प्राधिकरण के बिना "संरक्षित प्रणाली" सरकार। स्पष्ट रूप से पढ़ें, "संरक्षित" की घोषणा की शक्ति

सिस्टम "एक कॉपीराइट पर आक्रमण कर सकता है जो एक निजी मालिक में निहित हो सकता है। हालाँकि, ऐसी स्थिति का ध्यान कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (के) में निहित प्रावधानों द्वारा रखा जाता है जो "सरकारी कार्य" को परिभाषित करता है और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 (डी) जो धारा 2 (के) द्वारा परिभाषित सरकारी कार्य में सरकार, कॉपीराइट में निहित है। किसी से संबंधित कॉपीराइट के बीच धारा 17 द्वारा संतुलन मारा जाता है।

आई. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग। बल्कि, यह शक्ति को उससे भी आगे सीमित करने का प्रयास है जो पहले थी। पूर्व-संशोधित कानून के तहत प्रचलित, "सरकारी काम" के दायरे को कम करके, जहां तक यह महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुविधा से संबंधित है, जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।

21. जहाँ तक 27 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना का संबंध है, अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष की गई चुनौती फ्रेंड्स आवेदन सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के दावे पर आधारित थी। उक्त दावा, प्रत्यक्षतः, प्रावधान बी. एन. एफ. आई. आर. ओ. एस. बनाम के आलोक में मान्य नहीं है।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 17 (ए) और रिट याचिका में अपीलार्थी के स्वीकृत/अभिवचन मामले में इस प्रभाव के लिए निहित है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उस सॉफ्टवेयर को विकसित करने का काम सौंपा गया था जिसके लिए उसे देय प्राप्त हुआ था।

माइक्रोसॉफ्ट से विचार। यदि ऐसा है, तो अपीलार्थी स्वयं

रिट याचिका में अभिवचन, यह कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत फ्रेंड्स आवेदन सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट का दावा करने का हकदार नहीं होगा। चाहे ई-शासन के लिए कुल समाधान प्रदाताओं और केरल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 10 (शीर्ष "केरल सरकार की भूमिका" के तहत) के तहत, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 (ए) को देखते हुए राज्य के पास कॉपीराइट का दावा होगा, यह पूरी तरह से एक अलग सवाल है जिसका फ्रेंड्स आवेदन सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के लिए अपीलकर्ता के दावे से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान कार्यवाही में, माइक्रोसॉफ्ट और प्रथम प्रतिवादी/चौथे प्रतिवादी के बीच अंतर-पक्षीय अधिकारों का मुद्दा किसी भी समाधान की आवश्यकता के लिए विवाद में नहीं है। निर्णय के लिए एकमात्र बिंदु अपीलार्थी का दावा है, क्योंकि

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपर, उक्त के पहले लेखक होने के लिए

ऐसा कार्य करना ताकि उसे कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 के प्रावधानों के तहत एक कॉपीराइट निहित किया जा सके, एक ऐसा दावा जो कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 (ए) के प्रावधानों के आधार पर और ई-शासन और केरल सरकार के लिए कुल समाधान प्रदाताओं के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 10 ("केरल सरकार की भूमिका" शीर्षक के तहत) दोनों के आधार पर स्पष्ट रूप से निराधार है।

22. उपरोक्त कारणों से, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। तदनुसार,

उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पुष्टि करते हुए हम अपीलों को खारिज करते हैं और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

या

चिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन [2018] 3 एस. सी. आर.

मोहन लाल

वी.

नैंड लाल

(2009 की सिविल अपील सं. 5887)

21 मार्च, 2018

[एन. वी. रमना और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

होगाः विश्वसनीयता-तथ्यों पर, प्रत्यर्थी द्वारा अपने भाई-अपीलार्थी को संपत्ति से बाहर निकालने की मांग करने वाला मुकदमा-अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई-इसके बाद, प्रत्यर्थी ने वाद में संशोधन किया दादाजी द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में घर की संपत्ति की वसीयत के आधार पर राहत मांगी-निचली अदालत ने प्रत्यर्थी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया-उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: आसपास कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है

वसीयत की वास्तविकता को वर्ष 1945 में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया था और इसे स्वयं निष्पादक की अपनी लिखावट में तैयार किया गया था-यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयत में विश्वसनीयता का अभाव है क्योंकि इसे अभिलेख पर लाने का विचार प्रत्यर्थी का एक विचार था, वह भी लिखित बयान दाखिल करने के बाद-केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी का नाम भी नगरपालिका के अभिलेख में परिवर्तित किया गया है और इस तरह वह संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता है, दावे के समर्थन में किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में प्रभावी नहीं किया जा सकता है-एक बार जब वसीयत को दस्तावेज़ का एक वास्तविक टुकड़ा माना जाता है, तो नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखा जाता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 वसीयत को वर्ष 1945 में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया था और इसे निष्पादक की अपनी लिखावट में तैयार किया गया था। उनकी लिखावट को पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा भी विधिवत साबित किया गया था। स्वर्गीय जी-दादा के दामाद, जो उनके साथ पत्राचार करते थे और इस तरह वसीयतकर्ता की लिखावट से अच्छी तरह से परिचित थे। यह निवेदन कि वसीयत में विश्वसनीयता की कमी है क्योंकि इसे रिकॉर्ड पर लाने का विचार प्रतिवादी-वादी का एक विचार था, वह भी लिखित बयान दाखिल करने के बाद, इस कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि पी. डब्ल्यू. 2, बैंक के क्लर्क, स्पष्ट रूप से पदच्युत, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित, कि

प्रत्यर्थी ने वर्ष 1964 में वसीयत गिरवी रखकर बैंक से ऋण प्राप्त किया और तब से वसीयत को बैंक में रखा गया। उक्त गवाह, पीडब्लू2 से मुकदमे में जिरह नहीं की गई थी। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अनुसार, कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है

वसीयत की वास्तविकता के आसपास। [पैरा 7] [81-ई-जी]

1.2 केवल यह आधार लेते हुए कि अपीलार्थी का नाम

अभिलेख, जब केवल प्रत्यर्थी का नाम था, तो प्रतिवादी-अपीलार्थी ने वादी-प्रत्यर्थी के नाम पर कर जमा किए थे, और दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं थी अपीलार्थी-प्रतिवादी का नाम नगरपालिका के अभिलेखों में कैसे जोड़ा गया था। नीचे की अदालतों ने सामग्री साक्ष्यों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया है और तदनुसार सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। एक बार जब वसीयत को दस्तावेज़ का एक वास्तविक टुकड़ा माना जाता है, तो मामले में आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 8] [81-एच; 82-ए-बी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5887

2009 से।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.11.2006 के विवादित आदेश से, इंदौर की जबलपुर पीठ ने पहली अपील No.239 में

1996 .

जे. पी. सिंह, आर. सी. कौशिक, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

संजीव K.Bhardwaj, विजय के. जैन, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की पीठ द्वारा 1996 की पहली अपील संख्या 239 में पारित 29 नवंबर, 2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए, अपीलार्थी द्वारा खर्च के साथ की गई अपील को खारिज कर दिया था।

2. वर्ष 1989 में, प्रतिवादी ने अपने भाई-अपीलार्थी [2018] 3 एस. सी. आर. को बाहर निकालने की मांग करते हुए जिला न्यायाधीश, इंदौर के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।

इसमें मुकदमे की संपत्ति से और अपने लाभ का भी दावा करना। द.

प्रतिवादी अपीलार्थी ने इस आधार पर मुक़दमे का विरोध किया कि वह

विवादित संपत्ति में आधा हिस्सा मिला क्योंकि यह मूल रूप से उनके दिवंगत नाना का था, जिनके परिवार में केवल दो बेटियां थीं। अपने दादा की मृत्यु पर उनकी माँ ने उत्तराधिकार में प्रवेश किया और वह सूट संपत्ति में अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। इसलिए वादी प्रत्यर्थी मुकदमे की संपत्ति का एकमात्र मालिक होने का दावा नहीं कर सकता है और मुकदमे को ही गलत समझा जाता है। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी-वादी ने वाद में इस आशय का संशोधन किया कि अपने दादा के जीवनकाल के दौरान, स्वर्गीय गोवर्धनलाल ने 9 सितंबर, 1945 को वादी के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित करके घर की संपत्ति को विरासत में दिया, और वर्ष 1947 में अपने दादा की मृत्यु के बाद, वह सूट संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया है। आई. डी. 1 दिनांकित वसीयत को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने प्रतिवादी-वादी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया। पीड़ित व्यक्ति

प्रतिवादी-अपीलार्थी ने यहाँ उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील दायर की। इसमें आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की और उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, अपीलार्थी इस अपील में हमारे सामने है जो नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों पर जोर देती है। 3. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान से देखा है।

4. अपीलार्थी का मामला यह है कि वह स्वर्गीय गोवर्धनलाल और उनके नाम के पोते होने के नाते विवादित संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार है।

नगरपालिका अभिलेखों में भी उत्परिवर्तित किया गया था। वादी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद वाद में संशोधन करके विचाराधीन वसीयत को साक्ष्य में रखा गया था। इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 और 63 के प्रावधानों के अनुसार भी निष्पादित नहीं किया गया था और इसलिए, इसे साक्ष्य अधिनियम के तहत वैध और वास्तविक नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से आगे तर्क यह है कि स्वर्गीय गोवर्धनलाल की दो जीवित बेटियाँ हैं, मणिबाई (पक्षों की माँ) और दुर्गाबाई और दुर्गाबाई की मृत्यु के बाद, उनकी बेटियाँ सरजुबाई और राजूबाई ने भी विवादित संपत्ति पर अधिकार हासिल कर लिए और इसलिए वे मुकदमे के लिए आवश्यक पक्षकार हैं, लेकिन स्वर्गीय गोवर्धनलाल के इन कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी को भी मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था। इन परिस्थितियों में, नीचे दिए गए न्यायालय वसीयत को एक वास्तविक दस्तावेज नहीं मान सकते थे, लेकिन उक्त वसीयत के आधार पर वादी-प्रतिवादी के पक्ष में वाद का आदेश देकर, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने एक त्रुटि या कानून बनाया है।

मोहन लाल बनाम। नंद लाल [एन. वी. रमना, जे.]

5. प्रत्यर्थी-वादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि 9 सितंबर, 1945 को वसीयत के निष्पादन के समय केवल प्रत्यर्थी वादी परिवार में पुरुष बच्चा था और वसीयत स्वर्गीय गोवर्धनलाल द्वारा लिखी गई थी, जो पेशे से एक वकील थे, अपनी लिखावट में। स्वर्गीय गोवर्धनलाल की मृत्यु के समय, प्रतिवादी वादी की आयु लगभग 13 वर्ष थी और अपीलार्थी-प्रतिवादी का जन्म स्वर्गीय गोवर्धनलाल की मृत्यु के लगभग 8 साल बाद हुआ था। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी का छोटा भाई होने के नाते, उससे इस आश्वासन के साथ विवादित संपत्ति में रहने की अनुमति दी गई थी कि वह घर खाली कर देगा।

7. यह विवाद में नहीं है कि वसीयत को वर्ष 1945 में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया था और इसे निष्पादक की अपनी लिखावट में तैयार किया गया था। स्वयं। उनकी लिखावट को स्वर्गीय गोवर्धनलाल के पोते पी. डब्ल्यू. 5-नंदलाल नागर द्वारा भी विधिवत साबित किया गया था, जो उनके साथ पत्राचार करते थे और इस तरह वसीयतकर्ता की लिखावट से अच्छी तरह से परिचित थे। यह तर्क कि वसीयत में विश्वसनीयता की कमी है क्योंकि इसे रिकॉर्ड पर लाने का विचार प्रतिवादी वादी का एक विचार था, वह भी लिखित बयान दाखिल करने के बाद, इस कारण से कायम नहीं किया जा सकता है कि पीडब्लू 2-इंदौर पारस्पर सहकारी बैंक के क्लर्क तुषार अकोलेकर ने स्पष्ट रूप से गवाही दी, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित, कि प्रतिवादी ने ऋण प्राप्त किया था।

वर्ष 1964 में वसीयत गिरवी रखकर बैंक से और तब से वसीयत बैंक में रखी गई थी। यह भी रिकॉर्ड में है कि उक्त गवाह (पीडब्लू2) से मुकदमे में जिरह नहीं की गई थी। अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखते हुए, हमें वसीयत की वास्तविकता के आसपास कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं मिलती है।

8. केवल यह आधार लेते हुए कि अपीलार्थी का नाम भी नगरपालिका के अभिलेख में परिवर्तित किया गया है और इस प्रकार वह सही में प्राप्त करता है दावे के समर्थन में किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में संपत्ति को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। अभिलेख से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से पहले

नगरपालिका के अभिलेखों में उसका नाम जोड़ा गया, जब केवल नाम था, प्रतिवादी-अपीलार्थी के पास वादी प्रतिवादी के नाम पर बयान था, और यह दिखाने के लिए कोई आधार नहीं था कि अपीलार्थी-प्रतिवादी का नाम कैसे था।

नगरपालिका अभिलेख। हमारी राय में, नीचे दिए गए न्यायालयों ने भौतिक साक्ष्यों का मूल्यांकन किया है और तदनुसार निष्कर्ष निकाला है। एक बार जब वसीयत को असली पाईक माना जाता है

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें मामले में गहराई से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा तर्कपूर्ण निर्णयों द्वारा दर्ज किए गए संक्षिप्त विवरण को बाधित करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

9. उपरोक्त सभी कारणों से, अपील का अभाव है

इसलिए, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया। निधि जैन